तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/329/2001/जयपुर** **सरकार बनाम रामस्वरूप (मृतक जरिए वारीसान)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-06-2023	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री सविता चौहान, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। **आदेश** 1– यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर प्रथम ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 03–11–2000 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, भू0अ0 तहसील बस्सी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि सम्वत 2019 की एकीकरण जमाबंदी में ग्राम बांसखोह के आराजी खसरा संख्या 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी गोविन्दराम पुत्र पन्ना लाल जाति ब्र सा बांसखोह के नाम दर्ज थी व कृषक राधेश्याम पुत्र भौरीलाल ब्रा दर्ज थी। यह की सम्वत् 2022–25 की जमाबंदी बनाते समय माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी गोविन्दराम पुत्र पन्नालाल जी कि एकीकरण जमाबन्दी में दर्ज था की जगह माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी का नाम नियम विपरीत विलोपित कर राधेश्याम पुत्र भौरीलाल के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। अतः निवेदन किया कि सम्वत् 2022–25 की जमाबंदी बनाते समय राधेश्याम पुत्र भौरीलाल व नामा0 संख्या 111 के द्वारा रामस्वरूप पुत्र मोहरीलाल का नाम खातेदारी को निरस्त कर ग्राम बांसखोह के आराजी खसरा संख्या 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा को माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम खातेदारी दर्ज प्रदान करने के आदेश प्रदान किए जावे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम, जयपुर द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर,(प्रथम) जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.11.2000 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है। 3– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सम्वत 2019 की एकीकरण जमाबंदी में ग्राम बांसखोह के आराजी खसरा संख्या 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी गोविन्दराम पुत्र पन्ना लाल जाति ब्र सा बांसखोह के नाम दर्ज थी व कृषक राधेश्याम पुत्र भौरीलाल ब्रा दर्ज थी। यह की सम्वत् 2022–25 की जमाबंदी बनाते समय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/329/2001/जयपुर** **सरकार बनाम रामस्वरूप (मृतक जरिए वारीसान)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी गोविन्दराम पुत्र पन्नालाल जी कि एकीकरण जमाबन्दी में दर्ज था की जगह माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी का नाम नियम विपरीत विलोपित कर राधेश्याम पुत्र भौरीलाल के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। अतः निवेदन किया कि नामा0 संख्या 111 के द्वारा रामस्वरूप पुत्र मोहरीलाल का नाम खातेदारी से निरस्त कर ग्राम बांसखोह के आराजी खसरा संख्या 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी इंद्राज माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी के नाम यथावत किए जाने का निवेदन किया। 5– मैने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल खतौनी एकीकरण सम्वत् 2019 है, जिसके अनुसार ग्राम बांसखोह के खाता संख्या 306 में खसरा नं0 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी गोविन्दराम पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण के नाम सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसपर कालम सख्या 5 में कृषक के नाम में राधेश्याम पुत्र भौरीलाल दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 247 (पुराना) में खसरा नं0 620 की 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि राधेश्याम पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। नामा0 संख्या 111 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 संलग्न है जिसके अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या नया 274 में खसरा संख्या 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा रामस्वरूप पुत्र मोहरीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड होना अंकित है। इस प्रकार नकल खतौनी एकीकरण सम्वत् 2019 के अनुसार विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसे नामां0 संख्या 111 से राधेश्याम पुत्र भौरीलाल के खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत् नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 6– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण के खातेदारी के अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा विवादित भूमि खसरा नं0 620 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बांसखोह माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/329/2001/जयपुर** **सरकार बनाम रामस्वरूप (मृतक जरिए वारीसान)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	